



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6191-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 413 के तहत आपराधिक अपील संख्या - 164/2025

शमसू

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: जे.बी. सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: राजेश कुमार दुबे, जी.ए.

न्यायालय संख्या - 43

माननीय न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II

आज न्यायालय में दायर एक प्रत्युत्तर शपथपत्र और दो प्रति शपथपत्र अभिलेखित किए जाते हैं।

धारा 413 बीएनएसएस, 2023 के तहत प्रस्तुत वर्तमान अपील मामला अपराध संख्या - 190/2012 में धारा 147, 148, 149, 307, 302, 506 आईपीसी, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा से उत्पन्न विशेष सत्र परीक्षण संख्या 199/2013 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम खुर्शीद और अन्य), सत्र परीक्षण संख्या 527/2013 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रतिया) सत्र परीक्षण संख्या 670/2013 (राज्य बनाम इकबाल) सत्र परीक्षण संख्या 932/2014 (राज्य बनाम मुद्दीन) एवं मामला अपराध संख्या 198/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 200/2013 (राज्य बनाम हक्कू @ हकमू) में धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा में पारित अभियुक्त-प्रतिवादियों को बरी करने के आदेश और दिनांक 8.5.2018 के आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

कार्यालय की रिपोर्ट दिनांक 6.1.2026 में कहा गया है कि प्रतिपक्षी संख्या 2 की मृत्यु 15.7.2018 को हुई थी।

अपील पर 2621 दिनों की रोक है। अपीलकर्ता प्रथम सूचनादाता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से इस आधार पर अपील की पोषणीयता के संबंध में सवाल किया गया था कि क्या अपीलकर्ता को धारा 413 बीएनएसएस सपठित धारा 2 (डब्ल्यू ए) सीआरपीसी में दी गई शब्द की परिभाषा के परंतुक के तहत पीड़ित माना जा सकता है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता मृतक का भाई है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय को यह समझाने में सक्षम नहीं थे कि अपीलकर्ता एक पीड़ित है जैसा कि धारा 2 (डब्ल्यू ए) सीआरपीसी के तहत परिभाषित किया गया है। उपरोक्त मुद्दे पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई तर्क नहीं दिया जा सका।

विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में कहा गया है कि अपील समय के भीतर दायर नहीं की जा सकी क्योंकि अपीलकर्ता और शपथपत्र के अभिसाक्षी को 2014 के मामले में 15.7.2020 को मामला अपराध संख्या 287/2014 में गिरफ्तार किया गया था और शपथपत्र देने वाले व्यक्ति को इस न्यायालय द्वारा 12.8.2025 को आपराधिक अपील संख्या 403/2017 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जो केस क्राइम नंबर 287/2014 से संबंधित सत्र सुनवाई से उत्पन्न हुई है। शपथपत्र में कहा गया है कि उपरोक्त कारण से, वर्तमान अपील समय पर दायर नहीं की जा सकी।

भले ही विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में बताए गए तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन दिनांक 8.5.2018 और 15.7.2020 के बीच की देरी को स्पष्ट नहीं किया गया है। बरी करने का फैसला 8.5.2018 को पारित किया गया था। बहस के दौरान, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मामला अपराध संख्या 287/2014 की स्थापना के बाद, अपीलकर्ता उपरोक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया, इसलिए, अपील दायर नहीं की जा सकी।

अपीलकर्ता को अपराध संख्या 287/2014 में उसके फरार होने और उसकी गिरफ्तारी से बचने का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

विलंब माफी आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र में अपील दायर करने में देरी को संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं किया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विलंब माफी आवेदन खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपील भी **खारिज** हो जाती है।

अभिलेखित किया जाए।

9 जनवरी, 2026

धीरेंद्र/

(न्यायमूर्ति डॉ. अजय कुमार-II) (न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।